



GOVT. NEW LAW COLLEGE, INDORE, MADHYA PRADESH
(NAAC Accredited B⁺)

Under UGC Section 2(f) & 12 (B),
Recog. By. Bar Council of India and Affiliated to Devi Ahilya University, Indore, Madhya Pradesh,
Estd. In 2003

Sr.....

Date: 27.09.2022

आवश्यक बैठक

समय	02:30 बजे	
स्थान	आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा बैठक कंट्रोल रूम	
क्रमांक	प्राध्यापक/सहायकप्राध्यापक	हस्ताक्षर
1.	डॉ. इनामुर्रहमान (प्राचार्य)	
2.	डॉ. मिर्जा मोजिज	
3.	डॉ. आशा ठाकुर	
4.	प्रो. किशोर चित्रे	
5.	प्रो मिलिन्द गोतम	
6.	प्रो. फिरोज मीर अहमद	
7.	राजेश कुमार वर्मा	

आज दिनांक 27.09.2022 को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा समिति की बैठक प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें कई आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा से संबंधी सुझावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा उपरांत सर्वसम्मती से निम्ननिर्णय लिये गये जो बिन्दुवार निम्नलिखित है :-

1. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा से संबंधित सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी एवं महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी ।

2. आंतरिक परीक्षा के पेटर्न में बदलाव की बात की गई, जिसमें एक आंतरिक मूल्यांकन (10 अंक) का ऑनलाईन पद्धति पर होगा, शेष ऑफलाईन लिखित व प्रजेंटेशन होगा ऑनलाईन परीक्षा का प्रश्नपत्र वैकल्पिक प्रश्न पर आधारित होगा ।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में 20 प्रश्न तथा प्रति प्रश्न 1/2 (0.5) अंक के होंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होंगे ।
5. संबंधित विषय के प्राध्यापक के लिए प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखित रूप से आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा समिति को 1 माह पूर्व जमा करवाने होंगे ।
6. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक कार्यालयीन पाँच दिवस के अंतराल में महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा किये जावेंगे ।
7. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो कि ऑनलाईन होगी जो कि आई.टी. सेल के सहयोग से संचालित कि जावेगी ।
8. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा कम्प्युटर लैब 1, 2,3 में ही आयोजित की जावेंगी ।
9. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के संचालन में तकनीकी समस्या आने पर परीक्षा के समय एवं दिवस में परिवर्तन किया जा सकता है जिसका पूर्ण अधिकार आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा समिति को होगा ।
10. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा किसी भी गतिविधि में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यार्थी कक्षा प्रभारी को पूर्व में लिखित सूचना दिया जाना आवश्यक होगा और अनुमति प्राप्त होने पर ही विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन पर विचार किया जावेगा ।
11. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा संबंधित किसी भी समस्या के निराकरण करने का अधिकार परीक्षा समिति का होगा ।
12. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा समिति के दौरान सभी परीक्षार्थियों को महाविद्यालय यूनिफार्म में आना होगा तथा महाविद्यालय परिचय पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा ।
13. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के दौरान वीक्षकीय कार्य करने हेतु 250रु. प्रति विषय एवं प्रति सेमेस्टर जिसमें कापियों का मूल्यांकन इत्यादी कार्य शामिल होगा एवं वीक्षकीया कार्य हेतु अनुपात 30:01 अनुसार वीक्षक नियुक्त किया जायेगा और राशि अधिकतम तीनों आन्तरिक मूल्यांकन के लिये होगी ।

११/१२/२३

14. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की मोक टेस्ट के लिए 2 दिवस पूर्व कॉलेज की वेबसाईट पर लिंक दी जावेंगी ।

आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मिटिंग के जियोटेग फोटोग्राफ्स:-



Pracharya

प्राचर्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय,
इंदौर